21.11.2016

षोडश माला, खंड 20, अंक 4 **सोमवार, 21 नवम्बर, 2016**

30 कार्तिक, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कैलाश बैसोया
संयुक्त निदेशक

संजीव कुमार कम्बोज
उप निदेशक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

21.11.2016

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 20, दसवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)

अंक 4, सोमवार, 21 नवम्बर, 2016 / 30 कार्तिक, 1938 (शक)

विषय	**पृष्ठ संख्या**
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
उत्तर प्रदेश में कानपुर के समीप पुखरायाँ में इंदौर-पटना एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण 129 व्यक्तियों की कथित रूप से मृत्यु होने और 200 से अधिक लोगों के घायल होने के बारे में	12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 65	14-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	41
तारांकित प्रश्न संख्या 66 से 80	
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अध्यक्ष द्वारा बधाई

पी.वी.सिंधु को चीन के फुझोऊ में 20 नवंबर, 2016 को चाइना ओपन सुपर सीरीज़ बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए बधाई 42

मंत्री द्वारा वक्तव्य

20.11.2016 को उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के पुखरायाँ और मलासा स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी सं. 19321 डाउन इंदौर-राजेद्रनगर टर्मिनल (पटना) एक्सप्रेस की दुर्घटना के बारे में 43-45

श्री सुरेश प्रभु

सभा पटल पर रखे गए पत्र 47-56

समिति के लिए निर्वाचन

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 57

कार्य मंत्रणा समिति के 36वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 58

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(1) सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 59

(2) नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016 60

21.11.2016

नियम 377 के अधीन मामले 62-88

(एक) बगहा और पटना के मध्य वातानुकूलित डिब्बों वाली नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाए जाने तथा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री सतीश चंद्र दुबे 63

(दो) राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन चिह्न में राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन रोके जाने हेतु राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल शेट्टी 64

(तीन) उत्तर प्रदेश के मेरठ में ललित कला अकादमी का केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 65

(चार) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पचनदा बैराज परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 66

(पांच) चिकित्सकों के सेवानिवृत्त होने की एक समान आयु निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र सिंह भोले 67-68

(छह) झारखंड के पलामू जिले में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संचालित बैंकिंग कियोस्क केन्द्रों पर सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम 69

(सात) देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 70

(आठ) हिमालयी राज्यों में सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' 71

(नौ) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और 86 को चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता

कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल 72

21.11.2016

(दस) उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग सं. 385बी पर रेल उपरि पुल बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. नैपाल सिंह 73

(ग्यारह) लेह, कारगिल, लद्दाख, अंडमान और लक्षद्वीप स्थित विमान पत्तनों को क्षेत्रीय संपर्क योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री थुपस्तान छेवांग 74

(बारह) झारखंड में पैरा-अध्यापकों की सेवाओं को नियमित किए. जाने तथा उनका मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 75

(तेरह) विद्यार्थियों के बस्तों का वजन कम किए जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 76

(चौदह) रेल पटरियों की समय पर मरम्मत, उनका निरीक्षण और अनुरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 77

(पंद्रह) कर्नाटक में चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनजातीय 'कॉलोनियों में आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण 78

(सोलह) प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को विमुद्रीकृत करेंसी नोट स्वीकार करने की अनुमति देने की आवश्यकता

श्री वी. एलुमल्लाई 79-80

(सत्रह) तमिलनाडु में थूथुकुडी रेलवे स्टेशन के स्तरोन्नयन और विस्तार के बारे में

श्री जे. जे. टी. नटर्जी 81

(अट्ठारह) नोटों के विमुद्रीकरण के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय 82

(उन्नीस) मुम्बई के बोरीवली में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो को अधिसूचित डिपो का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री गजानन कीर्तिकर 83-84

(बीस) आंध्र प्रदेश को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

85

श्री एम. मुरली मोहन

(इक्कीस) विमुद्रीकरण के कारण केरल में जिला सहकारी बैंकों तथा कृषि ऋण समितियों को हो रही समस्याओं के बारे में

श्री पी. के. बीजू 86

(बाईस) तेलंगाना में आईटीसी पेपर मिल द्वारा कथित रूप से श्रम कानूनों का उल्लंघन किए जाने के बारे में

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी 87

(तेईस) बिहार के भागलपुर में ईएसआईसी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेश कुमार 88

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

सोमवार, 21 नवम्बर, 2016 / 30 कार्तिक, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

उत्तर प्रदेश में कानपुर के समीप पुखरायाँ में इंदौर-पटना एक्सप्रेस रेल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण 129 व्यक्तियों की कथित रूप से मृत्यु होने और 200 से अधिक लोगों के घायल होने के बारे में

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 20 नवम्बर, 2016 को उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट पुखरायां में इन्दौर-पटना एक्सप्रैस रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण अभी तक जो प्राप्त जानकारी मेरे पास है और भी आगे कुछ हो सकता है, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 129 व्यक्तियों के मारे जाने तथा 200 व्यक्तियों के घायल होने की जानकारी मिली है।

सभा इस दुःखद दुर्घटना पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है। इससे शोक संतप्त परिवारों को अत्यधिक दुःख और क्षति हुई है तथा सभा घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ की कामना करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

21.11.2016
[हिन्दी]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैडम, आज आप एडजर्न्मेंट मोशन ले लीजिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद] चर्चा शुरू करें। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : नो, नथिंग।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन ऑवर।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 61। श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा।

(प्रश्न संख्या 61)

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा: अध्यक्ष महोदया, बेटी बिना मां नहीं, मां बिना संसार नहीं,...(व्यवधान) इसलिए हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जिस तरह बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए बल दिया है।...(व्यवधान) इसी तरह, इसी के अंतर्गत हिन्दुस्तान की धरती पर जन्म लेने वाली हर बेटी का सौ प्रतिशत नामांकन हो और उसे गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले,...(व्यवधान) इसके लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं,...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं? ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने सवाल के जवाब में बताया है,...(व्यवधान) ऐसी स्थिति पहले थी, जब कम लड़कियां स्कूल में जाती थीं और लड़कों का अनुपात ज्यादा होता था।...(व्यवधान) लेकिन अब पिछले दिनों से 'सर्व शिक्षा आभियान' के साथ जो शिक्षा का प्रचार हुआ, उसके कारण गर्ल्स का

---

* **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।**
https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

एनरॉलमेंट 49 प्रतिशत हो गया है। ....(व्यवधान) लड़कों का 51 परसेंट एनरोलमेंट हो गया है और कुछ राज्यों में लड़कियों के एनरोलमेंट का ज्यादा प्रतिशत है। समाज में लड़कियों का जो अनुपात है, उसी के अनुसार शिक्षा में भी उनका अनुपात बढ़ा है। यह बहुत बड़ी सफलता है।...(व्यवधान) वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा आभियान को प्रारंभ किया था और यह उसका परिणाम है कि 15 साल में इतना विस्तार हुआ है और आज सभी को शिक्षा मिल रही है।...(व्यवधान)

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा: मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र बारदोली के सूरत जिले में ग्रामीण बच्चों के शिक्षा हितों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की सुविधा नहीं है।...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूरत जिले में इस विद्यालय की सुविधा कब तक हो पाएगी?...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। वर्ष 2001 के बाद शिक्षा के विस्तार में बहुत बड़ी सफलता मिली है।...(व्यवधान) आज 14.5 चौदह लाख स्कूल हैं और अपर प्राइमरी के ढाई लाख स्कूल हैं।...(व्यवधान) स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्शाती है कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंची है और कुछ राज्यों में, जहां टीचर्स की कमी थी, वहां टीचर्स की भर्ती करने के सार्थक प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी 17 परसेंट वैकेंसीज खाली हैं।...(व्यवधान) इन वैकेंसीज को भरने के लिए हम पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन यह राज्यों का काम है इसलिए राज्य सरकारों को इस विषय में काम करना चाहिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत जी यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री प्रह्लाद जोशी।

श्री प्रह्लाद जोशी: मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि *सर्व शिक्षा अभियान* की शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। यह बुनियादी ढांचे के निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य सभी चीजों के लिए एक

सर्वोत्तम योजना है। लेकिन वर्तमान में लड़कियों की शिक्षा के संबंध में समस्याएँ हैं। कई विद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों में, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी छात्रों के लिए और विशेष रूप से छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा का अभाव है। ... (*व्यवधान*)

दूसरी बात यह है कि *सर्व शिक्षा अभियान* लागू होने के बाद भी आज भी बहुत सारी जर्जर इमारतें हैं। कर्नाटक सरकार कक्षाओं के निर्माण के लिए कोई धनराशि जारी नहीं कर रही है। अगर आप उनसे पूछें तो वे बताते हैं कि अब कर्नाटक में *सर्व शिक्षा अभियान* निधि का उपयोग केवल वेतन के लिए ही किया जा रहा है। तो फिर वास्तविक स्थिति क्या है? माननीय मंत्री जी शौचालयों के निर्माण के संबंध में वास्तव में क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह सरकारी कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा सभी प्रमुख कंपनियों से अपनी सीएसआर निधि का उपयोग करने की अपील करेंगे । वह निजी कंपनियों से भी अनुरोध कर सकते हैं कि वे विद्यालयों में शौचालय बनवाएं। यह मेरा प्रश्न है। ... (*व्यवधान*)

सर्व शिक्षा अभियान निधि के अंतर्गत कक्षाओं के निर्माण के लिए क्या वे कर्नाटक को निधि प्रदान करेंगे?

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका उत्तर अगले प्रश्न संख्या-62 में है, लेकिन मैं अभी इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा वैल में खड़े सदस्यों से निवेदन है कि आप टीवी पर आना चाहते हैं। मैं टीवी वालों को कहूंगी कि आप अपनी मर्यादा में रहे हैं और हिंदुस्तान देखे। [अनुवाद] वे आप सभी को टीवी पर दिखाएंगे। उन्हें टीवी पर दिखाने दें। कृपया माननीय मंत्री जी को परेशान न करें।

... <u>(व्यवधान)</u>

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा विपक्ष को निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी अपना आसन स्वीकार करें और सदन का कामकाज चलने दें।...(व्यवधान) पूरा देश एक सुर से, एक मन से मोदी जी के द्वारा उठाए गए नोटबंदी के निर्णय के पक्ष में है। इस बारे में किसी के भी मन में दुविधा नहीं है।...(व्यवधान) मैं कांग्रेस के मित्रों को, तृणमूल के मित्रों को और कम्युनिस्ट मित्रों को कहना चाहूंगा कि काले धन, जाली नोट या फर्जी नोट और आतंकवाद को मिटाने के पक्ष में हम सब हैं।...(व्यवधान) और जो कठिनाइयां हैं, उन पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं।...(व्यवधान) आम जनता की, आम नागरिक की और किसानों की कठिनाइयों का निवारण करने के लिए मोदी सरकार तैयार है, इस बारे में मैं आश्वस्त करना चाहूंगा।...(व्यवधान) इस विषय पर चर्चा और बहस के लिए हम तैयार हैं और उस बहस का जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं।...(व्यवधान) यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया एक मिनट मेरी बात सुनें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपका अडजर्नमेंट मोशन स्वीकार नहीं किया जा रहा है।...(व्यवधान) यदि आप टीवी पर दिखना चाहते हैं तो मैं जरूर लोक सभा टीवी से कहूंगी कि वह दिखाते रहें [अनुवाद] लेकिन माननीय मंत्री जी को परेशान न करें। [हिन्दी] मैं हाउस को एडजर्न नहीं कर रही हूं।...(व्यवधान) आप टीवी पर जरूर दिखाए जाएंगे, [अनुवाद] लेकिन माननीय मंत्री जी को परेशान न करें। [हिन्दी] जो भी हल्ला कर रहे हैं, उनको दिखा दीजिए।...(व्यवधान) इनको सबको दिखने दीजिए, पूरे हिन्दुस्तान को देखने दीजिए। आप लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं।

… <u>(व्यवधान)</u>

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम स्पीकर, हमारी मंशा हाउस को...(व्यवधान) हम टीवी के लिए पैदा नहीं हुए हैं...(व्यवधान) हम लोग जनता की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहते हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आज जनता को तकलीफ हो रही है।...(व्यवधान) लाइन में खड़े लोग मर रहे हैं।...(व्यवधान) हजारों लोग इन्जर्ड हो रहे हैं। हम लोग उनका दर्द बताने आए हैं।...(व्यवधान) आज देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसलिए हम लोग आपके सामने एडजर्नमेंट मोशन के तहत डिसक्शन करना चाहते हैं, रूल 56 के तहत चर्चा करना चाहते हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी लोग डिसक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ऐसी चर्चा क्यों मांग रहे हैं ?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम चर्चा से भागना नहीं चाहते हैं।...(व्यवधान) हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को उस समय हाउस में आना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इस तरह का आग्रह क्यों कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : प्राइम मिनिस्टर को हाउस में आना चाहिए और हमारी बात को उन्हें सुनना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य मिनिस्टर के सामने आ रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूं। जो मिनिस्टर के सामने बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वह लोग टीवी में आना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम अपनी बात को रखेंगे।...(व्यवधान) अपोजिशन के सभी लीडर्स तैयार हैं।...(व्यवधान) हम चर्चा के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको चर्चा मिलेगी।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है।...(व्यवधान) चर्चा को 193 के तहत रख कर, प्रधानमंत्री चर्चा से भाग रहे हैं।...(व्यवधान) वह बाहर चर्चा कर रहे हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, जो सवाल पूछा गया है, वह टॉयलेट के बारे में है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने टॉयलेट बनाने के कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त, 2015 को की थी।...(व्यवधान) पिछले एक वर्ष में साढ़े चार लाख स्कूलों में टॉयलेट का यह कार्यक्रम पूरा हो गया है।...(व्यवधान) अब एक भी ऐसा स्कूल नहीं है, जहां लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट न हो।...(व्यवधान) जहां तक इनकी संख्या बढ़ाने की बात है, वह निरन्तर चलने वाला काम है।...(व्यवधान) जहां लड़कियों की संख्या ज्यादा है, वहां उसको बढ़ाने का काम प्रगति पर है।...(व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं, जिनमें निःशुल्क वर्दियां, निःशुल्क पाठ्या पुस्तकें, उनके लिए आवासीय विद्यालय और साइकिल इत्यादि दिए जाने से बालिका शिक्षा में वृद्धि हुई है।...(व्यवधान) लेकिन अनुसूचित

जनजाति के जो क्षेत्र हैं, वहां आज भी बालिका विद्यार्थियों के द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने का प्रतिशत ज्यादा है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं, वहां बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों को चिन्हित करके, वहां हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ट्राइबल लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा कैसे हो। अनेक राज्यों में ट्राइबल के आश्रम स्कूल्स हैं, वहां लड़कियों का अलग स्कूल है और जो 3600 एजूकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, वहां सब जगह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के रूप में स्कूल और छात्रावास दोनों शामिल हैं। इसके अलावा एस.सी., एस.टी., माइनोरिटीज, ऑरफन, डिसएडवांटेज ग्रुप, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी इन सब बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रधान मंत्री जी का हमेशा आग्रह रहा है। मुझे खुशी है कि यह पहली योजना है कि जो काफी मात्रा में अच्छी तरह से सफल हुई है और 3600 से ज्यादा विद्यालय और छात्रावास अच्छी तरह से चल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार: महोदया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़े ब्लॉकों में खोले गए हैं, जहां महिला ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। … (*व्यवधान*) मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या इन शिक्षकों को नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? … (*व्यवधान*)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के तहत सर्व शिक्षा अभियान सुचारू रूप से चल रहा है।… (*व्यवधान*) वेतन एक नियमित भुगतान है। राज्य सरकारें वेतन वितरित कर रही हैं। यदि कोई विशेष शिकायतें हैं, तो मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इसे मेरे संज्ञान में लाएं। मैं निश्चित रूप से इस पर गौर करूंगा। … (*व्यवधान*)

इसके अतिरिक्त, सरकार माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावासों की भी देखभाल कर रही है। इसलिए, कोई सामान्य शिकायत नहीं है। लेकिन यदि माननीय सदस्य मेरे ध्यान में कोई विशेष शिकायत लाते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उस पर ध्यान दूंगा। … (*व्यवधान*)

21.11.2016

(प्रश्न संख्या 62)

श्रीमती कोथापल्ली गीता: माननीय अध्यक्ष महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध शिक्षा सुविधा और बुनियादी ढांचे पर बोलने का मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं इस मामले में विस्तृत उत्तर के लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। … (*व्यवधान*)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के दो वर्ष बाद भी, आज भी 95.2 प्रतिशत विद्यालयों को वह बुनियादी ढांचा नहीं मिल पाया है जिसका शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वादा किया गया था । मैं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हेतु धनराशि प्रदान करने के लिए माननीय मंत्री जी और केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हूँ। इन सभी की बहुत ही प्रशंसनीय विशेषताएं हैं। … (*व्यवधान*)

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि आज भी 10 में से एक विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। … (*व्यवधान*) ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं जिसके कारण कई विद्यार्थी विद्यालय की पढ़ाई बीच में ही छोड़ रहे हैं। इसके अलावा, कक्षाओं का निर्माण कार्य भी अधूरा छोड़ दिया गया है। … (*व्यवधान*) केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सर्व शिक्षा अभियान की निधि का राज्यों द्वारा अन्यत्र प्रयोग किया गया है और विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में हैं तथा उनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। … (*व्यवधान*)

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली इस निधि के अंतिम उपयोग की निगरानी के लिए कोई योजना बनाई गई है। … (*व्यवधान*) हमने यह रिपोर्ट डीआईएसएचए (दिशा) के माध्यम से भी प्रस्तुत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी का राज्यों को दी जाने वाली निधि के अंतिम उपयोग की निगरानी किस प्रकार करने का विचार है? … … (*व्यवधान*)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: हम विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित धनराशि के अंतिम उपयोग की निरंतर निगरानी सदैव सुनिश्चित करते हैं। लेकिन हम इस बारे में अधिक ठोस सुझाव चाहेंगे कि हम इसकी अधिक प्रभावी ढंग

से निगरानी कैसे कर सकते हैं। यह जनता का पैसा है; यह गरीब लोगों का पैसा है, जो गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। … (*व्यवधान*) यदि उस धन का उपयोग ठीक उसी तरह से नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है, तो यह बड़ी चिंता का विषय है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ऐसा न हो। … (*व्यवधान*)

जहां तक पीने के पानी की सुविधा का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि यह तीन में से एक नहीं बल्कि 3 प्रतिशत विद्यालय हैं जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है। … (*व्यवधान*) हमारे पास 14.5 लाख विद्यालय हैं जिनमें से ऐसे केवल 37,000 विद्यालय शेष हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन विद्यालयों को पीने के पानी की सुविधा प्राथमिकता से प्रदान की जाए। … (*व्यवधान*)

जहां तक चारदीवारी का संबंध है, मैं ग्राम पंचायतों से आग्रह करता हूँ कि वे आगे आएं। शिक्षा एक सामुदायिक सेवा है और इसे सामुदायिक सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए ग्राम पंचायतों ने चारदीवारी क्यों नहीं बनाई होगी? यह तार की जाली, कैक्टस आदि से बनाई जा सकती है। हम चारदीवारी बना सकते हैं। गांव खुद इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। … (*व्यवधान*) हम रैंप बनाएंगे, लेकिन खेल के मैदान बनाने में अंततः गाँव को भी भागीदारी करनी होगी । इसलिए, हम चाहते हैं कि बुनियादी ढांचे को जल्द से जल्द उन्नत किया जाए। … (*व्यवधान*)

श्रीमती कोथापल्ली गीता: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को उनके उत्तर के लिए धन्यवाद देती हूँ। … (*व्यवधान*)

भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी है जिससे समस्या बढ़ रही है। कई विद्यालयों में शिक्षक-छात्र का अनुपात 1:30 है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार की भी सख्त आवश्यकता है।। इसलिए, भौतिक बुनियादी ढांचा एक बड़ी चुनौती है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी के कारण, कई छात्र जो स्नातक उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे आज नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है वह गुणवत्ता आधारित नहीं थी। … (*व्यवधान*)

इस समस्या का सामना करने का एकमात्र तरीका शिक्षा का डिजिटलीकरण है। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कक्षाओं और स्मार्ट कक्षाओं को शुरू करने के लिए कई प्रस्ताव हैं। क्या सरकार का डिजिटलीकरण के लिए किसी योजना का प्रस्ताव है? मूल रूप से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में, क्या सरकार ने कक्षाओं को डिजिटल बनाने और ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना बनाई है? ... (*व्यवधान*)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: जहां तक प्राथमिक शिक्षा का संबंध है, शिक्षक-छात्र संपर्क की आवश्यकता है। इसलिए, हम 9वीं कक्षा से डिजिटलीकरण के लिए पाठ्यक्रम पहले से ही तैयार कर रहे हैं, लेकिन 9वीं कक्षा तक भी डिजिटलीकरण का एक घटक होगा जो पूरे देश में व्याप्त होगा। ... (*व्यवधान*)

मुद्दा यह है कि हम सर्व शिक्षा अभियान से शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। हमने शिक्षकों के 19.48 लाख पदों को मंजूरी दी है जिनमें से 15.74 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसलिए, वास्तव में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। केवल 17 प्रतिशत रिक्तियां हैं। होता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती नहीं की जाती है। लोग जिलों में ही रहते हैं। लोग बड़े शहरों में रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक लाख ऐसे विद्यालय हैं जहां केवल एक ही शिक्षक है। यह वास्तव में एक चिंता का विषय है। इसलिए हम शिक्षकों की समुचित तैनाती चाहते हैं। ... (*व्यवधान*)

तब हमने सीएबीई की बैठक की जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री मौजूद थे। हमने उन्हें दिखाया है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती नहीं हो रही है। इसलिए हमने विस्तार से चर्चा की है कि शिक्षकों की तैनाती कैसे की जाए और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में सेवा कर चुका है वह अर्ध-शहरी क्षेत्र में आए और फिर वह शहरी क्षेत्र में आए और तत्पश्चात महानगर क्षेत्र में आए। इसलिए एक तर्कसंगत स्थानांतरण नीति होगी। हमने यही चर्चा की है। ... (*व्यवधान*)

21.11.2016
[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तारपूर्वक उत्तर दिया है। ...(व्यवधान इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, जैसे खेल के मैदान हैं, बाउंड्री वॉल है और ऑडिटोरियम आदि स्कूलों में हैं। ...(व्यवधान) मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश और संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद की बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आधिकांश जो भवन बने हैं, वे बगैर खेल के मैदान और बगैर बाउंड्री वॉल के बने हैं। ...(व्यवधान) क्या भविष्य में मंत्रालय की ऐसी कोई योजना है कि जब भवन की योजना बनाएंगे तो उसमें साथ में ही खेल का मैदान और बाउंड्री वॉल शामिल करने का काम करेंगे? ...(व्यवधान) दूसरा, जिन हाई स्कूलों और हायर सैकेंड्री स्कूलों में अभी बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल के अभाव में लोग और जो स्थानीय व्यवस्था है, वह भवनों को क्षति पहुंचाती है, नुकसान करती है। ...(व्यवधान) क्या उन भवनों की बाउंड्री वॉल्स का निर्माण करने के लिए सरकार की कोई योजना है? ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि बाउंड्री वॉल हमारे कार्यक्रम का और राइट टू एजुकेशन का हिस्सा है। ...(व्यवधान) मैं अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 40 फीसदी जगहों पर स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है ...(व्यवधान) अब यह संख्या बड़ी है।...(व्यवधान) यह संख्या चार लाख की है।...(व्यवधान) जैसे हमने चार लाख जगह टॉयलेट का काम किया, वैसे ही चार लाख जगह बाउन्ड्री वॉल के लिए ग्राम पंचायत और गाँव क्यों नहीं सामने आयेगा।...(व्यवधान) राइट टू एजूकेशन में कोई पाबन्दी नहीं है कि समाज और कम्युनिटी भी उसको मदद करे और गाँव पहले से एजूकेशन में काम करने के लिए तैयार था।...(व्यवधान) हम उसी भाव को बढ़ावा भी देना चाहते हैं।...(व्यवधान) जो सवाल आपने प्लेग्राउन्ड्स के बारे में पूछा है, जो स्कूल पहले बने हैं, जहाँ प्लेग्राउन्ड नहीं है, राज्य सरकारें इसे सैंक्शन करती हैं।...(व्यवधान) उन्हें प्लेग्राउन्ड्स के लिए जगह रखने का प्रोविजन रखना चाहिए, हमने उन्हें यह एडवाइस दी है।...(व्यवधान) इसे राज्य सरकारें करती हैं।...(व्यवधान) उसे हम यहाँ से नहीं करते हैं।...(व्यवधान) जहाँ तक केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों की बात है, उनमें पर्याप्त ग्राउन्ड और प्लेग्राउन्ड्स होते हैं।...(व्यवधान)

21.11.2016
[अनुवाद]

श्री सी.के. संगमा: धन्यवाद, महोदया। … (*व्यवधान*) माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बताया है। … (*व्यवधान*) यद्यपि, शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो सकती है या कम से कम कुछ हद तक कई विद्यालयों में यह पूर्ण हो सकती है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी चिंता का विषय है। … (*व्यवधान*) मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। … (*व्यवधान*) कक्षा 10वीं के परिणामों में हर साल केवल 25 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होते है और इसका मुख्य कारण यह है कि बुनियादी स्तर/प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बहुत कम है। (*व्यवधान*)

माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि … (*व्यवधान*) मेरे राज्य में *सर्व शिक्षा अभियान* के शिक्षकों को एक निश्चित वेतन राशि मिलने का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। ... (*व्यवधान*) इसे अभी तक पारित नहीं किया गया है और मेघालय सरकार की योजना राशि को कम करने की है। … (*व्यवधान*)

क्या सरकार देश भर में शिक्षकों के न्यूनतम वेतन में सुधार करने पर विचार कर रही है? … (*व्यवधान*) आज शिक्षकों को कष्ट उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है, जो वास्तव में अनुचित है। … (*व्यवधान*) मुझे लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता तभी बढ़ सकती है जब हम अपने शिक्षकों की ओर ध्यान देना शुरू करें। … (*व्यवधान*) क्या सरकार की देश भर में शिक्षकों के लिए कोई न्यूनतम वेतन ढांचा बनाने की योजना है? … (*व्यवधान*)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदया, पूरे देश में सभी स्थायी शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिल रहा है और विभिन्न राज्यों ने इसे अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार अलग-अलग तरीके से अपनाया है लेकिन हम छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुदान दे रहे हैं। … (*व्यवधान*) इसलिए, स्थायी शिक्षकों का वेतन मुद्दा नहीं है। … (*व्यवधान*) मुद्दा ऐसे *तदर्थ* शिक्षकों अथवा ऐसे शिक्षकों के वेतन का है जो स्थायी शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं। हर राज्य को उन्हें पैकेज देने का अधिकार है और कई राज्य उन्हें 15,000 रुपये दे रहे हैं जबकि कुछ राज्य 5,000 रुपये दे रहे हैं।

.....(*व्यवधान*) वेतन में इस भिन्नता पर सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ चर्चा की गई है और हमने उन्हें अधिकतम वेतन देने के लिए कहा है। ... (*व्यवधान*)

लेकिन माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है वह शिक्षण की गुणवत्ता के बारे में है। ... (*व्यवधान*) इसलिए, मैं एक बड़ी घोषणा करता हूँ। ... (*व्यवधान*) जहां तक गुणवत्तापूर्ण प्रतिफल का सवाल है, सीखने के उन प्रतिफल के लिए विद्यार्थियों को पहली, दूसरी या तीसरी कक्षा में क्या मिलना चाहिए, इसके लिए हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नियमों के अनुसार नियम बना रहे हैं। ... (*व्यवधान*) सीखने के प्रतिफल के लिए ये नियम पिछले 10 वर्षों से नहीं बनाए गए थे। ... (*व्यवधान*) अब हम इसे बनाने जा रहे हैं। ... (*व्यवधान*) हम अंतिम चरण में हैं और बहुत जल्द हमारे पास नियम होंगे। ... (*व्यवधान*) इसलिए, सीखने के प्रतिफल निश्चित रूप से आएंगे; हर किसी को पता चलेगा कि किस प्रकार की गुणवत्ता की उम्मीद की जानी चाहिए; और यह शिक्षकों की जवाबदेही होगी। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी: महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।...(व्यवधान) जैसे हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था के मामले

में एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे हमारे काफी लोग परेशान भी हैं, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति भारत सरकार लायेगी।...(व्यवधान) इस देश को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम होने वाले हैं।...(व्यवधान)

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ।...(व्यवधान)मेरा प्रश्न विशेषकर उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।...(व्यवधान) उन्होंने जो उत्तर दिया है, उसमें जो स्टेट के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, वह 3,36,543 की सैंक्शन संख्या है।...(व्यवधान) एस.एस.ए. के द्वारा 4,23,355 की संख्या है।...(व्यवधान) इस तरह कुल 7,59,898 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी।...(व्यवधान) इसके सापेक्ष हम लोगों की नियुक्ति प्रदेश में कुल 5,85,232 है और रिक्तियों की संख्या

1,74,666 है, जो 22-23 प्रतिशत है। ...(व्यवधान) पूरे देश में जो 17 प्रतिशत रिक्तियाँ हैं, यह उनके सापेक्ष बहुत ज्यादा है। ...(व्यवधान) इसके साथ-साथ जो अन्य इनफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, हमारे यहाँ 38 प्रतिशत ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, पाँच प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में पानी नहीं है। ...(व्यवधान) 41 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है। 62 प्रतिशत सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहाँ प्रयोगशाला नहीं है और 20 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में बैठने के डैस्क और बैंच की भी असुविधा है। ...(व्यवधान) इसके अलावा शिक्षा के स्तर की बात करें तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में परीक्षा प्रणाली ऐसी है कि जहाँ कक्षा आठ तक के सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने की व्यवस्था है। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो बुनियादी कमियाँ हैं, उनको उत्तर प्रदेश में दूर करने के लिए और परीक्षा प्रणाली को ऐसा बनाने के लिए कि जब तक उस स्तर तक विद्यार्थी न पहुँचे, उसकी कक्षा में परिवर्तन नहीं होगा, क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : पहले ही जैसे हमने जवाब दिया है कि हम लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन कर रहे हैं और वह रूल्स में लाएँगे, लेकिन इसमें शिक्षकों की, स्कूलों की तथा राज्यों की भी जिम्मेवारी बनती है। इसके साथ-साथ पाँचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षा लेनी है या नहीं, इसके बारे में *केब* की मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ और राज्य सरकार को केन्द्र ने सिफारिश की है कि पाँचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षा लेने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा जाए क्योंकि 28 से ज्यादा राज्य आज ये परीक्षाएँ करना चाहते हैं, नहीं तो किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती और क्वालिटी मार खा रही है। ...(व्यवधान)

जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल पूछा है, हमने एसएसए के अंडर 4,23,000 टीचर्स की पोस्ट्स सैंक्शन की हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल 3,71,000 की भर्ती की है। 50,000 टीचर्स हमने मंज़ूर किए हैं, लेकिन उन्होंने भर्ती नहीं किए हैं। तो ये वैकेंसीज़ राज्य सरकार को भरनी चाहिए, हम इसके लिए फिर से लिखेंगे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 63

कुंवर भारतेन्द्र सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव --उपस्थित नहीं।

अब, मंत्री महोदय जी कृपया जवाब दें।

… (*व्यवधान*)

21.11.2016

(प्रश्न संख्या 63)

श्री रवीन्द्र कुमार जेना: अध्यक्ष महोदया, मुझे प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। ... (*व्यवधान*) जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना, जो काफी लंबे समय से रुकी हुई थी, नई सरकार के सत्ता में आने के बाद फिर से सक्रिय हो गई है। ... (*व्यवधान*) हमें सरकार और माननीय मंत्री जी को इस पहल के लिए धन्यवाद देना चाहिए। (*व्यवधान*)

आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से मेरा स्पष्ट रूप से यह प्रश्न है... (*व्यवधान*) क्या उड़ीसा का बालासोर जिला, जिसका मैं लोक सभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ, इस गैस पाइपलाइन परियोजना विशेष से लाभान्वित होने वाला है या नहीं? ... (*व्यवधान*) यदि हां, तो इसकी समय-सारणी क्या है तथा इसमें सूचीबद्ध ओडिशा के 13 जिलों को इसका लाभ कब मिलेगा? (*व्यवधान*) इसके लिए समय सीमा क्या है? ... (*व्यवधान*) और अधिक स्पष्ट रूप से यह बताया जाए कि क्या मेरा जिला बालासोर जो मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत सूची में शामिल नहीं है, इस गैस ग्रिड से लाभान्वित होगा? ... (*व्यवधान*) धन्यवाद। ... (*व्यवधान*)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदया, जिस निर्वाचन क्षेत्र का माननीय सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं, वह मौजूदा व्यवस्था में शामिल नहीं है, लेकिन कोलकाता और हल्दिया होते हुए धामरा से दत्तापुलिया जो बांग्लादेश की सीमा पर है, तक नए पाइपलाइन में निश्चित रूप से... (*व्यवधान*) उस पाइपलाइन में बालासोर निर्वाचन क्षेत्र जुड़ेगा और मेरा मानना है कि माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग जो भद्रक जिले में आता है, इस परियोजना का हिस्सा होगा। ... (*व्यवधान*) यह धामरा से दत्तापुलिया तक एक नई पाइपलाइन है। ... (*व्यवधान*) इस पाइपलाइन में उनका निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल होगा। ... (*व्यवधान*)

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरी समझ में नहीं आता कि अगर लोगों को तक़लीफ है और आप उसे उठाना चाहते हैं, लोगों की तक़लीफ को सामने रखना चाहते हैं तो चर्चा कीजिए। हल्ला करने से तो लोगों की तक़लीफ पर चर्चा नहीं हो सकती।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 64 - प्रो. सौगत राय।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय मंत्री जी।

... (*व्यवधान*)

21.11.2016

(प्रश्न संख्या 64)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर तेली: माननीय अध्यक्ष महोदया, सौगत राय जी ने चाय बागान के बारे में पूछा था।...(व्यवधान) मैं असम से आता हूं और मेरे क्षेत्र में बहुत-से चाय बागान हैं।...(व्यवधान) मैं अपनी सरकार को अनुरोध करता हूं कि हमारी भारत सरकार की एन्ड्रयू यूल कंपनी के करीब दस चाय बागान असम में हैं और बंगाल में शायद चार बागान हैं।...(व्यवधान) यह एन्ड्रयू यूल कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है।...(व्यवधान)

हमारी सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारी असम सरकार की असम टी कॉरपोरेशन के करीब 15 चाय बागान हैं और उसकी हालत बहुत खराब है।...(व्यवधान) यहां जो ये लोग चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस की असम में करीब 60 साल सरकार थी और उन्हीं के शासनकाल में उन चाय बागानों की हालत बहुत खराब हो गयी है।...(व्यवधान) मैं भारत सरकार से, अपनी सरकार से अनुरोध करता हूं कि एन्ड्रयू यूल कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो जो ये असम सरकार के 15 चाय बागान हैं, उन्हें भी एन्ड्रयू यूल कंपनी द्वारा ले लिया जाए।...(व्यवधान) कुछ दिनों पहले मैं एन्ड्रयू यूल कंपनी के चेयरमैन से मिला था।...(व्यवधान) उन्होंने कहा था कि अगर भारत सरकार ऐसा चाहती है तो हम ये चाय बागान जरूर लेंगे।...(व्यवधान) इन 15 चाय बागानों में करीब पचास हजार लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं।...(व्यवधान) इसलिए मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि असम सरकार की ए.टी.सी. के 15 चाय बागानों को भारत सरकार द्वारा ले लिया जाए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने असम में चाय बागानों के बारे में चिंताओं को व्यक्त किया है, विशेष रूप से एंड्रयू यूल - वह कंपनी जिसका वे उल्लेख कर रहे हैं - जो भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। यदि संबंधित राज्य सरकार चाय बोर्ड से संपर्क करती है, तो जो भी सहायता चाहिए

होगी, हम उन्हें वह प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हम यह मानते हैं कि असम में छोटे चाय उत्पादक एक बड़ा योगदान देते हैं। यदि कोई समस्या है, तो हम हमेशा उसका समाधान करेंगे। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान चाय बागानों की तरफ दिलाना चाहता हूं।...(व्यवधान) जैसे आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां के जो छोटे किसान हैं, उनके पट्टों को रद्द कर दिया है और उन्हें लाइसेंस नहीं दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्षा जी, मैंने पिछली बार भी यह सवाल आपके माध्यम से मंत्री जी से किया था।...(व्यवधान) पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार भी उन किसानों की चिंता नहीं कर रही है और इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण वे चाय बेच नहीं पाते हैं।...(व्यवधान) ऐसे किसान, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, राज्य सरकार उनका ध्यान नहीं रखती है और उनके पट्टे को कैंसल करके दूसरे को देना चाहती है।...(व्यवधान)

क्या भारत सरकार इस मामले में कड़ाई के साथ हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने यह सवाल सदन में पूछा था।...(व्यवधान) मैं सरकार को बधाई दूंगा कि आपने हस्तक्षेप किया था, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इसके लिए नहीं मानती है तो उन किसानों का इसमें क्या गुनाह है...(व्यवधान) किसान लुट-पिट रहे हैं, मज़दूर भूखे मर रहे हैं।...(व्यवधान) उनके परिवार और परिजन भूखों मर रहे हैं।...(व्यवधान)

क्या आप सख्ती के साथ इस मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। मैंने मई, 2015 में एक बार उत्तरी बंगाल चाय बागानों का दौरा किया था और फिर, जनवरी, 2016 में भी किया था । लेकिन जब मेरी यात्राएं हुईं, तो वे बड़े चाय बागानों में हुई थीं । हालांकि, उस समय छोटे चाय उत्पादक भी मुझसे मिले थे और उसके बाद माननीय सदस्य ने भी यह मुद्दा उठाया है। यदि संबंधित सदस्य

इन लोगों के प्रतिनिधिमंडल को लाते हैं, तो मैं उन्हें आश्वासन देती हूं कि हम निश्चित रूप से इस मामले पर गौर करेंगे। ... (*व्यवधान*)

21.11.2016

(प्रश्न संख्या 65)

[हिन्दी]

श्रीमती कमला पाटले: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि देश में, विशेषकर छत्तीसगढ़ में ऐसे बेरोजगारों, जिनकी जमीन पॉवर प्लांट्स, उद्योगों द्वारा आधिगृहीत की गई है, क्या उन पॉवर प्लांट्स, उद्योगों में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई ठोस नीति बनाई है। ...(व्यवधान) ऐसे बेरोजगार लोगों को प्राप्त मजदूरी के रूप में चार से पांच हजार रूपए वेतन मिलता है, जबकि उसी पॉवर प्लांट में बाहर के रखे गये लोगों को 10 से 15 हजार रुपए मिलते हैं, क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस नीति बनाई है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय: माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि क्या विद्युत् संयंत्रों के श्रमिकों को विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के मामले में नियोजित किया जाएगा। मुझे राज्य सरकार और संबंधित मंत्रालयों से भी जानकारी लेनी है। ... (*व्यवधान*) हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोज़गार सृजन है। हमारी सरकार विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम वेतन सुरक्षा प्रदान करने के पक्ष में भी हैं। इसीलिए, हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन के प्रति संवेदनशील है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रमुख कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया शामिल हैं। ये तीन प्रमुख कार्यक्रम हैं। ... (*व्यवधान*) 'स्टार्ट-अप इंडिया' नाम का एक और कार्यक्रम है। इन प्रतिवेदनों के अनुसार, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रोज़गार को लेकर है।

पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत हमने जो पहल की हैं, वे प्रशिक्षण से इसे संबद्ध करके रोजगार प्रदान करती हैं। इसके अनुसार, 2017 तक, हम युवाओं को दस लाख रोज़गार प्रदान करने जा रहे हैं। दूसरी पहल प्रशिक्षुता के बारे में है। इस अप्रेंटिस कार्यक्रम के अंतर्गत, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस अप्रेंटिस संशोधन योजना के अंतर्गत, हम एमएसएमई क्षेत्र में एक लाख ट्रेड

अप्रेंटिस उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इसी तरह, हमने आठ क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी अधिक है। इसीलिए, हमारी सरकार रोजगार सृजन के प्रति संवेदनशील है और इसके लिए उठाए गए कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती कमला पाटले: गांव में बड़े किसान के यहां 20 से 25 मजदूर काम करते हैं, लेकिन किसान की जमीन का आधिग्रहण हो जाने के कारण ऐसे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं । ...(व्यवधान) क्या सरकार ने ऐसे बेरोजगारों को उस स्थान पर स्थापित उद्योग, पॉवर प्लांट्स में रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है? ...(व्यवधान)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : फैक्ट्री के लिए जिनकी लैंड चली जाती है, उनके लिए तथा उनके लड़कों के लिए प्रावधान रहता है, उस प्रावधान के अनुरूप उनको इंप्लायमेंट मिल सकता है। ...(व्यवधान) जो प्रश्न पूछा गया है, उसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

दूसरा, मैं उनको यह बात भी बताऊंगा कि हमारी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना एक नई स्कीम आई है। ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी ने इस साल में एक हजार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए बजट सैंक्शन किया है। ...(व्यवधान) [अनुवाद] उसमें से हम ई.पी.एफ. राशि का 8.33 प्रतिशत उस नियोक्ता को दे रहे हैं जो नई नौकरियां देता है। इसलिए, नया रोज़गार अधिक महत्वपूर्ण है। हम इसे प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना के तहत शुरू कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री आभिषेक सिंह: अध्यक्ष महोदया, हाल ही में भारत की लेबर और इंप्लायमेंट रिपोर्ट, 2016 इस देश के सामने आई थी। ...(व्यवधान) इस रिपोर्ट के कुछ बड़े महत्वपूर्ण पहलू मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान) उस रिपोर्ट में यह रिकमैंडेशन थी कि भारत के आर्थिक विकास का आधार मैनुफैक्चरिंग सैक्टर को होना चाहिए, क्योंकि मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में इम्प्लॉयमैंट इलास्टिसिटी सबसे बेहतर होती है। इसका मतलब जॉब के टिकाऊ रहने की संभावना सबसे मजबूत होती है।...(व्यवधान) मैं सबसे पहले आदरणीय

प्रधान मंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया मिशन और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को हम इस देश के सामने लेकर आए हैं।

महोदया , उस रिपोर्ट में एक और विषय है, जिसमें भारत की लेबर फोर्स का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है, जो महिलाओं का है, जिन्हें नए और बेहतर रोजगार की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस देश की ओवरऑल इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में आधिक से आधिक हो, उस दिशा में भारत सरकार की क्या योजनाएं है?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है, जो श्रमिकों की वेतन सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ... (*व्यवधान*) जहां तक एमएसएमई क्षेत्र का सवाल है, मैंने पहले ही बताया है कि हम जो शिक्षु (संशोधन) अधिनियम लेकर आए हैं, उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई है और सभी एमएसएमई क्षेत्रों के लिए वृत्तिका का प्रावधान किया गया है। (*व्यवधान*) भारत सरकार एमएसएमई को वृत्तिका का 50 प्रतिशत देती है और इसे 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, एमएसएमई क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि रोजगार का सृजन हो सके। ... (*व्यवधान*)

माननीय सदस्य ने जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, वह विनिर्माण क्षेत्र के बारे में है, जो स्थायी रोजगार प्रदान करता है। "स्किल इंडिया" माननीय प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्यक्रम है। … (*व्यवधान*) स्किल इंडिया के तहत माननीय प्रधानमंत्री ने 23 मंत्रालयों में कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमने एन.एस.डी.सी.को पिछले साल 80 लाख कौशल विकास कार्यक्रम दिए। … (*व्यवधान*) हमारे विभाग में भी महिलाओं को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमने आठ क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए हैं जिनमें केवल महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। … (*व्यवधान*)

श्री अनिल शिरोले: अध्यक्ष महोदया, क्या सरकार ने कौशल विकास का एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए ऐसे कौशलों जिनकी मांग है तथा जरूरी बुनियादी ढांचे का पता लगाने के लिए क्राउड सोर्सिंग पर विचार किया है? यदि हां, तो प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदया, मैंने पहले ही कहा है कि रोजगार सृजन मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें हम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों, विशेषकर निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों पर विचार कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) जो लोग अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में आये हैं, हम उन्हें भी प्राथमिकता दे रहे हैं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री बलभद्र माझी: अध्यक्ष महोदया, जो आंकड़ा दिया गया है कि आज के दिन भारतवर्ष में अनएम्प्लॉयमैंट सिर्फ 2.2 प्रतिशत ही रह गया है, यह कहीं न कहीं दुविधा पैदा करता है। ...(व्यवधान) इसमें दर्शाया गया है कि सिर्फ 47 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, इसका बेसिस क्या है? जैसे ग्रामांचल में अनआर्गनाइज़्ड सैक्टर है जहां किसान खेती करते हैं, यह सरकार के पास डेली वेज लेबरर्स का स्टैटिस्टिक्स कहीं होगा, ऐसा नहीं लगता है। ...(व्यवधान) यह बताया जाए कि कितना डिपैंडेबल है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना कब से चालू है, क्योंकि 2013 से इसका स्टैटिस्टिक्स दिया गया है ?...(व्यवधान)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैडम, माननीय सदस्य ने अनइम्पलायमेंट का जिक्र किया है ...(व्यवधान) [अनुवाद] दो सर्वेक्षण हैं। एक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण है जो पांच साल में एक बार किया जाता है। दूसरा है श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण। ... (*व्यवधान*) हम हर तीन महीने में त्वरित सर्वेक्षण कर रहे हैं। हमने अक्तूबर 2008 से दिसंबर 2008 तक और फिर सितंबर 2015 से दिसंबर 2015 तक 28 सर्वेक्षण किए हैं।... (*व्यवधान*) इन 28 सर्वेक्षणों में, इन सभी गहन श्रम वाले क्षेत्रों में कुल अनुमानित रोजगार में वृद्धि हुई तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़कर लगभग 38,80,000 हो गई थी । ... (*व्यवधान*) संगठित क्षेत्र में, हम रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) माननीय प्रधानमंत्री ने कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं और मैंने इनके बारे में पहले ही उल्लेख किया है। निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आर.पी.एल योजना भी है। ... (*व्यवधान*) हम डेटा तैयार

करने के संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। [हिन्दी] डाटा को कवर करने के लिए हम मजबूती के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिटक्स द्वारा पांच साल के बजाए वीकली, क्वार्टरली डाटा सर्वे करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उस डाटा को रिव्यू करके बेहतर डाटा देने का हमारा प्रयास चल रहा है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यदि आप इस पर चर्चा चाहते हैं, तो सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। ... (*व्यवधान*) कृपया समझने की कोशिश कीजिए।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न *बारह* बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>पूर्वाह्न 11.52 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

21.11.2016

†प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 66 से 80
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920

† प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर दो मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*)

… (*व्यवधान*)

<u>अध्यक्ष द्वारा बधाई</u>

पी.वी.सिंधु को चीन के फुझोऊ में 20 नवंबर, 2016 को चाइना ओपन सुपर सीरीज़ बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए बधाई

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभा की ओर से 20 नवम्बर, 2016 को फुझोय, चीन में आयोजित चाइना ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए सुश्री पी.वी. सिंधु को बधाई देती हूं।

यह उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है और हमें उम्मीद है कि वे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी।

हम सुश्री पी.वी. सिंधु को भावी प्रयासों में भी सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

… <u>(व्यवधान)</u>

21.11.2016

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

20.11.2016 को उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के पुखरायाँ और मलासा स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी सं. 19321 डाउन इंदौर-राजेद्रनगर टर्मिनल (पटना) एक्सप्रेस की दुर्घटना के बारे में

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, दुर्घटना के बारे में रेल मंत्री द्वारा वक्तव्य।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप दुर्घटना के बारे में वक्तव्य नहीं सुनना चाहते हैं?

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.03 ½ बजे

(*इस समय श्री कांति लाल भूरिया, श्री कल्याण बनर्जी, श्री एन. के. प्रेमचंद्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।*)

रेल मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): महोदया, अत्यंत दुःख के साथ मैं 20 नवम्बर, 2016 को 3.04 बजे उत्तर मध्य रेलवे के झांसी -कानपुर खंड के पुखरायाँ और मलासा स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी सं. 19321, इन्दौर-राजेंद्र नगर टर्मिनल (पटना) एक्सप्रेस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बारे में सभा को अवगत कराना चाहता हूँ। ... (*व्यवधान*) पुखरायाँ और मलासा स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के चौदह सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से तीन डिब्बे पलट गए। … (*व्यवधान*)

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस अति दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अब तक 133 यात्रियों की मौत हो गई है, 58 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं तथा 122 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। (*व्यवधान*)

राहत और बचाव के लिए तत्काल प्रयास किए गए। स्थानीय उपलब्ध एंबुलैंसों को तत्काल दुर्घटना स्थल की ओर रवाना किया गया और घायल यात्रियों को शीघ्र ही नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। … (*व्यवधान*) कानपुर और झांसी से रेलवे की मेडिकल वैन दुर्घटना स्थल पर भेजी गईं। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और मुख्य संरक्षा अधिकारी राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए तत्काल दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए। … (*व्यवधान*) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम और सेना की बटालियनें भी बचाव और राहत कार्यों के लिए घटनास्थल पर पहुंच गईं। रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा, सदस्य, सदस्य चल स्टॉक और सदस्य इंजीनियरी भी दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गये। … (*व्यवधान*) मैंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के साथ दुर्घटना स्थल का दौरा किया और अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों से मुलाकात करके उनका हाल चाल जाना।

मानवीय आधार पर, मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधी को 3.5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपये और मामूली रूप से घायल व्यक्तियों को 25,000 रुपये की बढ़ी हुई अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधी को 2 लाख रु. और प्रत्येक घायल यात्री को 50,000 रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है।… (*व्यवधान*)

दुर्घटना का सही कारण जानने के लिए रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा इस दुर्घटना की वैधानिक जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी सम्भव कारणों की जाँच करने के लिए एक उपयुक्त एजेंसी द्वारा नवीनतम तकनीकी और फोरेंसिक विश्लेषण की सहायता से अलग से भी व्यापक जांच की जायेगी। … (*व्यवधान*) दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फंसे हुए सभी यात्रियों को मलासा स्टेशन से एक स्पेशल रेलगाड़ी द्वारा उनके गंतव्य स्थलों तक पहुँचाया गया। फंसे हुए यात्रियों को पर्याप्त मदद एवं सहायता मुहैया कराई गई। ... (*व्यवधान*)

पहले से परिचालित पुरानी प्रौद्योगिकी वाले आइसीएफ सवारी डिब्बों में दुर्घटना की स्थिति में अधिक सुरक्षित आधुनिक सवारी डिब्बों वाली विशेषताएं मौजूद नहीं हैं। मैंने पिछले रेल बजट के दौरान इस सभा को इन सवारी डिब्बों को उत्तरोत्तर बदले जाने और चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के बारे में सूचित किया था। इस कार्य में तेजी लाई जाएगी। ... (*व्यवधान*)

मैं रेलवे की ओर से तथा मेरी ओर से, शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के प्रति भी गहन सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे साथ-साथ यह सभा भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करेगी ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5344/6/16]

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सॉरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि एक्सीडैंट के बाद भी आप नहीं सुनना चाहेंगे। [अनुवाद] यह वास्तव में बहुत खेदजनक है।

... (*व्यवधान*)

21.11.2016
(हिन्दी)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमल नाथ, के.सी. वेणुगोपाल, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, प्रो. सौगत राय, सर्वश्री शैलेश कुमार, एन.के. प्रेमचन्द्रन, जितेन्द्र चौधरी, सुदीप बंदोपाध्याय, के. एन. रामचन्द्रन, जोस के. मणि और जय प्रकाश नारायण यादव से विभिन्न विषयों पर कार्य स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, परन्तु इनके लिए आज की सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से भी उठाया जा सकता है।

इसलिए मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम): महोदया, मैं नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5326/16/16]

… (*व्यवधान*)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के तहत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5327/16/16]

… (*व्यवधान*)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम 2014 की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2016 जो 14 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 884(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5328/16/16]

(2) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2016 जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 771(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2016 जो 8 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 772(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5329/16/16]

(3) (एक) इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की

21.11.2016

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5330/16/16]

(4) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चाय (संशोधन) नियम,2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1007(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चाय बोर्ड (चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की शक्तियां) नियम, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1008(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चाय बोर्ड (संशोधन) उप-विधियां, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1009(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चाय बोर्ड (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती,पदोन्नति और सेवा की शर्तें) संशोधन उप-विधियां, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1010(अ) में प्रकाशित हुए थे। छह

(पाँच) चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1011(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः)चाय बोर्ड (अपलिखित हानियां) संशोधन नियम, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1012(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 3317(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) चाय भांडागारण (अनुज्ञप्तिकरण) संशोधन आदेश, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3318(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.3319(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) चाय अपशिष्ट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3320(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5331/16/16]

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) (एक) गोवा सर्व शिक्षा आभियान, गोवा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा आभियान, गोवा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5332/16/16]

(3) (एक) सर्व शिक्षा आभियान अथॉरिटी पंजाब, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान अथॉरिटी पंजाब, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5333/16/16]

(5) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5334/16/16]

21.11.2016

(7) (एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा आभियान), शिलांग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा आभियान), शिलांग के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5335/16/16]

(9) (एक) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा आभियान), लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा आभियान), लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5336/16/16]

(11) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5337/16/16]

(13) (एक) सर्व शिक्षा आभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5338/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, कराइकल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, कराइकल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5339/16/16]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दिमापुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दिमापुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5340/16/16]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैड, दिमापुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दिमापुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5341/16/16]

(7) (एक) डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5342/16/16]

(9) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (समूह क, समूह ख और समूह ग पद) भर्ती नियम, 2016 जो 13 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 686(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5343/16/16]

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

समिति के लिए निर्वाचन

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) और (5) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) और (5) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (*व्यवधान*)

21.11.2016

अपराह्न 12.08 1/2 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 36वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि यह सभा 18 नवम्बर, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमत हों।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा 18 नवम्बर, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमत हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

<u>सरकारी विधेयक</u>... पुरःस्थापित

(1) सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016‡□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

... (*व्यवधान*)

---

‡* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 21.11.2016 में प्रकाशित।

<u>अपराह्न 12.10 बजे</u>

(2) नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016[§]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): श्री नितिन गडकरी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नावधिकरण अधिकारिता, जलयानों से संबंधित विधिक कार्यवाहियां, उनको बंदी बनाने, निरोध, विक्रय और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों के संबंध में विधियों का समेकन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि नावधिकरण अधिकारिता, जलयानों से संबंधित विधिक कार्यवाहियां, उनको बंदी बनाने, निरोध, विक्रय और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों के संबंध में विधियों का समेकन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनसुख एल. मांडविया: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

… (*व्यवधान*)

[§*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 21.11.2016 में प्रकाशित।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं। मुझे लगता है कि आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप केवल नियम चाहते हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 12.11 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

21.11.2016

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

… (*व्यवधान*)

नियम 377* के अधीन मामले

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर विषय का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

केवल उन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके विषय का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हुआ है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

… (*व्यवधान*)

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

21.11.2016

(एक) बगहा और पटना के मध्य वातानुकूलित डिब्बों वाली नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाए जाने तथा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। बगहा रेलवे स्टेशन बिहार-उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है और यह पुलिस मुख्यालय भी है। यहां से पटना और जिला मुख्यालय जाने के लिए कोई भी अच्छी ट्रेन नहीं है। जिससे यहां के लागों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बगहा से पटना तक नई एक्सप्रेस ट्रेन वातानुकूलित बोगी के साथ प्रतिदिन चलाई जाए, जो बगहा से रात्रि में 10-11 बजे खुले और सुबह-सुबह पटना पहुंचा जाए और पटना से रात में 5-6 बजे खुले और रात में 10-11 तक बगहा पहुंच जाए। बगहा से जिला मुख्यालय तक डेमू ट्रेन दिन भर में दो फेरे लगाती है तो इससे यहां के लोगों को काफी सुविधा होगी और रेलवे को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मंत्री जी ने बापूधाम मोतिहारी में 10.06.2016 को घोषणा की कि बहुत ही जल्दी आपकी इन दो चिर-परिचित मांगों को मानते हुए रेलवे बगहा से पटना एक्सप्रेस ट्रेन वातानुकूलित बोगी के साथ प्रतिदिन और जिला मुख्यालय तक डेमू ट्रेन चलाई जाएगी। ये सत्याग्रह की धरती रही है, महात्मा गांधी जी ने यहीं से सत्याग्रह किया था। भारत सरकार अगले वर्ष सत्याग्रह शताब्दी वर्ष भी मनाने जा रही है। अतः निवेदन है कि बगहा से इन दोनों नई ट्रेनों को जल्द से जल्द आरंभ कराए।

(दो) राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन चिह्न में राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन रोके जाने प्रतिबंधित किए जाने हेतु राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई-उत्तर) : भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना पिंगली वैंकैयानन्द जी ने की थी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई, 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया, जो 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गयी थी। इसे 15 अगस्त, 1947 और 26 जनवरी, 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात् भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। हमारे देश में ''तिरंगे'' का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से है।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देश के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह न केवल हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा और सम्मान का भी प्रतीक है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय में सशस्त्र सेना बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की पूरी शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन न्यौछावर किए हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सम्पूर्ण देशवासियों की आशा और अभिलाषा का परिचायक है। अतः यह आवश्यक है कि देश के किसी भी क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक दल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय झंडे के मध्य में अथवा कहीं भी अपना चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करके उसका निजी उपयोग न किया जाए।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण, 1971 में संशोधन किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए ताकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक गौरव बरकरार बना रहे।

21.11.2016

(तीन) उत्तर प्रदेश के मेरठ में ललित कला अकादमी का केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : देश में तथा देश के बाहर विश्व में भारतीय ललित कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वर्ष 1954 में भारत सरकार द्वारा ललित कला एकेडमी का गठन किया गया। वर्तमान में सम्पूर्ण देश में इसके छह (6) केन्द्र हैं।

मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक तथा कलात्मक परम्परा का स्वाभाविक मुख्यालय है। रामायण काल से लेकर महाभारत काल तथा आधुनिक समय तक यहाँ विशिष्टता सम्पन्न ललित कला की विभिन्न विधाओं का विकास हुआ है। सम्यक् संरक्षण एवं प्रोत्साहन के द्वारा इन विधाओं का देश तथा दुनिया में विस्तार हो सकता है जो देश के इस भाग के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ में ललित कला अकादमी के केन्द्र की स्थापना करने का कष्ट करें।

(चार) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पचनदा बैराज परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : वर्ष 1996 में जब मैं पहली बार लोक सभा सदस्य निवारचित हुआ तब से मैं अपने संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर के माधौगढ़ क्षेत्र में पांच नदियों के संगम पचनदा पर बांध बनवाने की मांग करता आया हूँ। यह क्षेत्र बुंदेलखण्ड के अंतर्गत आता है, जो लगभग हर वर्ष सूखा अथवा आतिवृष्टि की समस्या से जूझता आ रहा है। विशेष रूप से जालौन जनपद में सिंचाई के लिए सिर्फ नलकूप, नहर जैसे परम्परागत जल स्रोतों का ही आसरा है जो लगभग सूखे तथा देर से पानी रिलीज करने का कारण किसानों की समस्या दूर नहीं कर पाते। मेरी लगातार मांग के कारण अब पचनदा बांध के स्थान पर पचनदा बैराज परियोजना की डी.पी.आर. बना ली गई है। अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि प्रदेश सरकार को आदेशित कर यह बांध बनवाने का कष्ट करें जिससे मेरे क्षेत्र को सूखे की समस्या से मुक्ति मिल सके।

(पांच) चिकित्सकों के सेवानिवृत्त होने की एक समान आयु निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : मैं सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत सरकार में कार्यरत सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने की घोषणा पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल का पूरे देश, विशेषकर चिकित्सा समुदाय ने हार्दिक स्वागत किया है किन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गयी आधिसूचना को इस उद्देश्य की प्राप्ति में गंभीर संकट आसन्न दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में चार उपवर्ग है जोकि टीचिंग, नॉन टीचिंग से जनरल ड्याूटी तक विभक्त है एवं इसे प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला वर्ग भी शामिल है। जारी की गई आधिसूचना में प्रशासनिक कार्य आयु एवं सेवानिवृत्त आयु को विहित किया गया है। प्रशासनिक कार्य आयु को 62 वर्ष रखा गया है जबकि सेवानिवृत्त आयु को 65 वर्ष कर दिया गया है। इसका अर्थ यह कि जो चिकित्सक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं जैसे डायरेक्टर, चिकित्सा अधीक्षक, डीन इत्यादि वे सब 62 वर्ष तक ही पदों में रहेंगे एवं सामान्य चिकित्सक तौर पर कार्य करने के आधिकारी होंगे। इस आदेश के फलस्वरूप अनेक विसंगतियां उत्पन्न होंगी जैसे वरिष्ठ चिकित्सक अपने कनिष्ठों से किस स्थिति में होंगे व क्या अब इनका मूल्यांकन कनिष्ठों के रूप में किया जाएगा और क्या इनकी कार्यदशायें कनिष्ठ डॉक्टर तय करेंगे। इन सभी भ्रांतियों के चलते काम-काज में काफी असर पड़ेगा एवं कार्यदक्षता भी प्रभावित होगी एवं वरिष्ठों, कनिष्ठों एवं समकक्षों में एक अघोषित कश्मकश, आविश्वास व घात-प्रतिघात की भावना विकसित होगी।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त आधिसूचना में संभावित एवं दुष्परिणामों को देखते हुए इस पर विचार कर एक उपयुक्त एवं समन्वयकारी आधिसूचना जारी करनी चाहिए जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा से जन कल्याण की पूर्ति हो सके।

(छह) झारखंड के पलामू जिले में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संचालित बैंकिंग कियोस्क केंद्रों पर सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : पलामू जिले में भारतीय स्टेट बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के अलावा अन्य बैंकों ने गांवों में क्योस्क बैंकिंग के तहत ग्राहक सेवा केन्द्र खोल रखा है। इसमें पांकी, लेस्लीगंज, तरहसी, मनातू, सतबरवा, चैनपुर, हरिहरगंज, छतरपुर, हैदरनगर, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज, पाटन, पडवा, सहित पलामू जिले के कमोबेश सभी प्रखंडों में लगभग 200 क्योस्क सेंटर खोले गए हैं। यहां गरीब किसान, छात्र एवं छोटी पूंजी के लोगों के खाते खोले गए हैं। इन्हीं केन्द्रों से बहुवांछित प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत गरीबों व बैंकों से दूर रह रहे लोगों को बैंक में खाता खोलकर जोड़ा गया है। क्योस्क बैंकों में आधिकांश गरीबों के ही खाते हैं। इन खातों में ही बच्चों की छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास योजना, विकलांग पेंशन, सहित विभिन्न योजनाओं की राशि का लेन-देन होता है। इन्हीं खातों से ग्रामीण क्षेत्रों में राशि का जमा-निकासी की जाती है। लेकिन ये क्योस्क बैंक आधिकतर बंद ही रहते हैं। इन केन्द्रों से पैसों की जमा निकासी तो दूर संचालकों से मुलाकात भी मुश्किल हो गयी है। क्योस्क बैंकों के बंद रहने से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व असहायों के समक्ष विकट स्थिति पैदा हो गई है। उन्हें बे-वजह भटकना पड़ रहा है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि क्योस्क बैंक के संचालकों को सख्ती से बैंक की शाखाओं को संचालित करने हेतु निदेरशित करे जिससे कियोस्क बैंकिंग का उद्देश्य भी पूर्ण हो सके तथा दूर-दराज के गांवों के लोगों को बैंकिंग का लाभ भी मिल सके।

(सात) देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना की आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जनगणना के आंकड़े जनसांख्यिकी असंतुलन की जिस खतरनाक चेतावनी की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को उसके प्रति मौन नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के खतरनाक जनसांख्यिकी असंतुलन के प्रति दुनिया का कोई भी सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्र चुप नहीं रह सकता। सनातन हिन्दू धर्म के साथ-साथ सिक्खों और बौद्धों की संख्या में हो रही तीव्र कमी तथा मुस्लिम आबादी में लगातार हो रही तीव्र बढ़ोतरी जनसांख्यिकी असंतुलन की जिस खतरनाक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करती है वह चौंकाने वाली है। सम्भवतः भारत दुनिया के उन चन्द देशों में होगा जहां इस प्रकार के खतरनाक दुष्प्रवृत्ति पर मौन बना हुआ है। दुनिया के अंदर किसी भी राष्ट्र के भाग्य का फैसला वहां का बहुसंख्यक समाज करता है लेकिन जब बहुसंख्यक समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा तो न केवल उस राष्ट्र की एकता और अखण्डता के सामने गंभीर चुनौती होगी अपितु लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेगा। वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आलोक में देश के अन्दर एक समान नागरिक कानून तथा जनसंख्या नियंत्रण के एक प्रभावी कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

कृपया पूरे देश के अन्दर एक समान नागरिक संहिता एवं जनसंख्या नियंत्रण का एक प्रभावी कानून लागू किया जाए।

(आठ) हिमालयी राज्यों में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : आज संपूर्ण देश ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। देश की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि की सफलता देश में उपलब्ध ऊर्जा पर निर्भर करती है। अगर देश की अर्थ-व्यवस्था को विश्व में हमें तेजी से बढ़ाना है तो पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देश के ऊर्जा संकट से न केवल घरेलू उपभोक्ता परेशान है बल्कि उद्योगों के विकास पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गंभीर ऊर्जा संकट के मद्देनजर देश के समस्त हिमालयी राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की परियोजनाओं का विकास नितांत आवश्यक है। मौसम परिवर्तन क्षेत्र की संवेदनशील परिस्थिति के दृष्टिगत हाइड्रो, सोलर-विन्ड जैसी परियोजनाओं के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय नीति के साथ-साथ राज्यों को मिनी, माइक्रो प्रोजेक्टों हेतु स्थानीय जनता को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का पलायन रुकेगा बल्कि क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का सूत्रपात होगा। साथ ही इन योजनाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करके इनसे जहां देश का ऊर्जा संकट मिटेगा वहीं संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा भी हो सकेगी। समृद्ध और श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में स्पष्ट नीतियों का सृजन आवश्यक है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि समूचे हिमालयी क्षेत्र में सर्वेक्षण करवाकर पंचायत स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्थान चिन्हित किए जाएं तथा स्थानीय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी इन परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाये ताकि हिमालयी क्षेत्र ऊर्जा के संकट से निजात पा सके।

(नौ)) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 और 86 को चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र. संख्या) आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सड़क परिवहन में समग्र सुधार हेतु आपात योजना के रूप में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-86 और एन.एच.-76 हैं। दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग डबल लेन के हैं जिनको 4 लेन का बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कबरई नगर के मध्य से एन.एच.-86 गुजरता है और सभी चौपहिया और भारी वाहन नगर से होकर गुजरते हैं जिसके कारण भारी जाम जरूरी है। अतः एन.एच.-86 पर कबरई नगर में सड़क बाईपास बनाया जाना जरूरी है। इसी तरह की स्थिति एन.एच.-86 पर स्थित नगर सुमेरपुर, एन.एच.-76 पर स्थित कुलपहाड़ नगर, पनवाड़ी नगर और मध्य प्रदेश के हरपालपुन तथा एन.एच.-86 और एन.एच.-76 दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित महोबा नगर में है। इन सभी स्थानों पर भी सड़क बाईपास बनाये जाने की नितांत आवश्यकता है। इसके साथ एन.एच.-76 पर स्थित सूपा रेलवे क्रॉसिंग, किराड़ी रेलवे क्रॉसिंग और मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के हरपालपुर नगर रेलवे क्रॉसिंग पर आर.ओ.बी. जरूरी है। इन नवीन सड़क निर्माण के साथ-साथ प्रमुख खस्ताहाल राजकीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर मार्गों को सुधारने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि बुंदेलखण्ड में सड़क संरचनाओं के सुधार के लिए मिशन मोड में समग्र योजना बनायी जाए साथ ही इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिकित्सकीय सुविधा सहित मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जाये जिससे बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सड़कें रोज़गार के लिए अन्य क्षेत्रों में पलायन का माध्यम न बने अपितु इन सड़कों के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास हो और बुंदेलखण्ड विकास की नवीन संभावनाओं का क्षेत्र बन सके।

(दस) उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग सं. 385बी पर रेल उपरि पुल बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) : मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत मिलक रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इस स्टेशन के यार्ड में गेट सं.-385 बी होने के कारण प्रतिदिन मालगाड़ी यार्ड में आकर खड़ी हो जाती है और कभी-कभी तो 24 से 72 घंटे तक खड़ी रहती है, जिसके कारण बच्चों का स्कूल जाना, बीमारों को अस्पताल जाना तक बंद हो जाता है। कई बार विद्यार्थी व पैदल यात्री मालगाड़ी के नीचे से निकलते हैं जिससे उनकी जान को खतरा रहता है और हादसे के अवसर बढ़ जाते हैं। जिसमें जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग पटवायी-शाहबाद-बिलारी जाने-आने का एकमात्र रास्ता है और यहां ट्रैफिक जाम बहुत होता है। तहसील मुख्यालय को जोड़ने के लिए भी लगभग 85 गाँव इस रास्ते को जोड़ते हैं और इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएँ भी हो चुकी हैं। कभी-कभी तो मृत लोगों को शमशान घाट ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहां के दुकानदारों व व्यापारियों का फाटक बंद होने के कारण बहुत नुकसान होता है। इस वजह से व्यापार भी आधा रह गया है। रेलवे ब्रिज के निर्माण के लिए कई बार धरने-प्रदर्शन भी हो चुके हैं। कई बार सरकार को पत्र भी लिखे जा चुके हैं परंतु पुल के निर्माण की उपेक्षा होती रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जन भावनाओं व आक्रोश को देखते हुए यहां पर आर.ओ.बी. की आवश्यकता है। पुल का निर्माण कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें। मैं पुनः सरकार से शीघ्र पुल निर्माण के लिए अनुरोध करता हूँ।

21.11.2016

(ग्यारह) लेह, करगिल, लद्दाख, अंडमान और लक्षद्वीप स्थित विमानपत्तनों को क्षेत्रीय संपर्क योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री थुपस्तान छेवांग (लद्दाख): लद्दाख से दिल्ली तथा जम्मू और श्रीनगर आने-जाने के लिए विमान यात्रा को किफायती बनाए जाने का मुद्दा कई वर्षों तक लोक सभा के लगभग हर सत्र में नियम 377 के तहत और शून्य काल के दौरान उठता रहा है। इसके अलावा, इस मामले को माननीय प्रधान मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रियों और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया। नई विमान यात्रा नीति के प्रस्ताव के मसौदे पर चर्चा करते समय नागरिक विमानन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। परामर्शदात्री समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की कि जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के सभी विमानपत्तनों को क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों पर विमान किराए की अत्यधिक उच्च दरों को नियंत्रित करने के लिए वित्तपोषण के अंतर को पूरा किया जा सके क्योंकि सड़क सम्पर्क और रेल सेवाओं की कोई सुविधा न होने के कारण इन क्षेत्रों पर आने-जाने वाले लोगों के पास विमान से यात्रा करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाल में घोषित की गई क्षेत्रीय संपर्क योजना में इस मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि लेह, कारगिल, लद्दाख तथा अंडमान और लक्षद्वीप के विमानपत्तनों को इस योजना में शामिल किया जाए ताकि दूरदराज के क्षेत्रों को लाभ हो सके।

21.11.2016

(बारह) झारखंड में पैरा-अध्यापकों की सेवाओं को नियमित किए जाने तथा उनका मानदेय भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : आज देश में निजी विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, परन्तु हम सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। परन्तु कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसे हम अपग्रेड करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में झारखण्ड में लगभग 50000 से अधिक पैरा-टीचर बच्चों को शिक्षा देने में कई स्तरों पर कामयाब हो रहे हैं, जो विलेज एजुकेशन कमेटी के नियंत्रण में कार्य करते हैं और झारखण्ड में ऐसे शिक्षकों-विद्यार्थियों का अनुपात 1:40 है। यानी इन शिक्षकों के सहारे सरकारी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है, परन्तु इनका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए पैरा-टीचर्स की परेशानियों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। समय-समय पर इस प्रदेश में पैरा शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन किए गए और आज की तारीख में न तो उनकी भविष्य निधि की कटौती होती है न उनको बीमा पॉलिसी मिलती है, न ही छुट्टी ग्रांट होती है और न ही समय पर मानदेय का भुगतान होता है। कमोबेश इन्हीं पैरा-टीचर्स के बल पर पूरे झारखण्ड में शिक्षा व्यवस्था चल रही है। हमारे पास संसाधनों की कमी जरूर है, परन्तु हमें गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी स्थिति में पैरा-टीचर्स की सेवाएं नियमित करने के पश्चात् हम झारखण्ड या देश में नियमित शिक्षा व्यवस्था की ओर अग्रसर होंगे।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह होगा कि पैरा-टीचरों को स्थायी करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की जाए।

(तेरह) विद्यार्थियों के बस्तों का वजन कम किए जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : देश के नौनिहालों की पीठ पर किताबों के भारी बोझ वाला बस्ता उनके स्वास्थ्य पर खराब असर डालने के कारण चर्चा का विषय बना रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण ने इस तथ्य को और पुख्ता कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारी बस्ता ढोने वाले 7 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के 68 प्रतिशत स्कूली बच्चों को पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।

एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्वास्थ्य देखभाल समिति के तहत कराए गए हालिया सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 7 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के 88 प्रतिशत छात्र अपनी पीठ पर अपने वजन के 45 प्रतिशत से अधिक भार ढोते हैं, जिनमें क्रिकेट किट, आर्ट किट, स्केट्स, ताईक्वांडो तथा तैराकी से संबंधित सामान आदि शामिल है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी को गंभीर नुकसान हो सकता है और पीठ संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इन बच्चों को स्लिप डिस्क, स्पांडलाइटिस,पीठ में लगातार दर्द, रीढ़ की हड्डी के कमजोर होने और कूबड़ निकलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सर्वेक्षण के दौरान अधिकतर अभिभावकों ने शिकायत की कि उनके बच्चे दिन में औसतन 20 से 22 किताबों और 7 से 8 पीरियड की कॉपियां लेकर जाते हैं।

बाल स्कूली बस्ता आधिनियम-2006 के अनुसार स्कूल के बस्ते का वजन बच्चे का वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस्ते के वजन को ढोते-ढोते बच्चा मानसिक रूप से थक सकता है तथा उसकी पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ सकता है।

इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि वह स्कूल के प्राधिकारियों को बस्तों के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें तथा अभिभावकों को भी इस बारे में जागरूक करने हेतु तत्काल ठोस कदम उठाए।

(चौदह) रेल पटरियों की समय पर मरम्मत, उनका निरीक्षण और अनुरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वडाकरा): भारतीय रेल देश की जीवन-रेखा है और इसे संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक संपर्क और एकीकरण सुविधा प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से सराहा गया है। यदि हम किलोमीटर में लंबाई की दृष्टि से देखें तो भारतीय रेल लाइनों का दुनिया में चौथा स्थान है। भारतीय रेल पिछले कई दशकों से निरंतर काम कर रही है और रेल यातायात कई गुना बढ़ गया है लेकिन कम निवेश और खराब रखरखाव के कारण इसकी स्थिति खराब हुई है। हम देश भर में रेलगाड़ियों के बार-बार पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं देखते रहे हैं और हाल ही में एर्नाकुलम जिले में अलुवा और करुक्कुट्टी स्टेशनों के बीच तिरुवनंतपुरम-मंगलौर एक्सप्रेस संख्या 16347 के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ऐसा प्रतीत होता है कि रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की ये घटनाएँ रेल लाइनों के खराब रखरखाव के कारण हुई हैं। मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूँ कि रेल लाइनों का नियमित निरीक्षण और समय पर मरम्मत और अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हजारों निर्दोष यात्रियों का जीवन खतरे में न पड़े।

21.11.2016

(पंद्रह) कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनजातीय कॉलोनियों में आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि चामराजनगर जिला और मैसूर जिले का कुछ हिस्सा मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चामराजनगर जिले में 148 जनजातीय कॉलोनियों में 31,558 जनजातीय लोग रहते हैं और मैसूर जिले के एच.डी.कोटे तालुक में 56,601 जनजातीय लोग 107 कॉलोनियों में रह रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार, हमने 2,430 व्यक्तिगत लाभ (भूमि पट्टा) जारी किए हैं जिनमें 4,023 हेक्टेयर भूमि के विस्तार और 39 सामुदायिक लाभ को सम्मिलित किया गया है । 2013-14 से राज्य क्षेत्र के तहत, नए घरों के निर्माण, पुराने घरों की मरम्मत, पेयजल सुविधाओं, सड़क संपर्क और पुलिया/पुलों के निर्माण आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए बड़ी मात्रा में अनुदान जारी किया गया है। इसके अलावा, क्योंकि उनके पास अपनी कृषि भूमि पर कोई आर.टी.सी. नहीं है, बैंक अधिकारी कृषि कार्यकलापों के संवर्धन और नलकूप हेतु खुदाई कार्य के लिए ऋण स्वीकृत नहीं कर रहे हैं।

वन अधिकार अधिनियम के अनुसार, बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित उपरोक्त कार्य जनजातीय कॉलोनियों में आरंभ किए जाने चाहिए। लेकिन वन विभाग के अधिकारी उपरोक्त कार्यों को किसी न किसी कारण से आरंभ नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनजातीय लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभ नहीं मिल रहे हैं।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनजातीय कॉलोनियों में आधारभूत अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान करें और कृषि उद्देश्यों के लिए तथा नलकूप हेतु खुदाई कार्य के लिए बैंक ऋण स्वीकृत करें।

(सोलह) प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को विमुद्रीकृत करंसी नोट स्वीकार करने की अनुमति देने की आवश्यकता

श्री वी. एलुमल्लाई (अरनी): तमिलनाडु में वर्तमान में 4474 प्राथमिक सहकारी ऋण समितियाँ गरीब किसानों और ग्राम श्रमिकों को सेवा प्रदान कर रही हैं। वे 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोआपरेटिव बैंक से संबद्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, इन सहकारी बैंकों के माध्यम से लगभग 40028 करोड़ रुपये के ऋण का संवितरण किया गया।

500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के कारण, आर.बी.आई. ने निर्देश जारी किए हैं कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) 500 और 1000 रुपये के विमुद्रीकृत नोट ग्राहकों से स्वीकार करने हेतु अधिकृत नहीं हैं। उन्हें विनिमय के लिए विमुद्रीकृत नोट स्वीकार करने से भी रोक दिया गया है। इसके अतिरिक्त, डीसीसीबी को किसी खाते से 24000 रुपये से अधिक का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। इस स्थिति में, ये बैंक पीएसीसी को ऋण नहीं दे पा रहे हैं और इस कारण से पीएसीसी अपने सदस्यों को इस महत्वपूर्ण फसल मौसम के दौरान कोई फसल ऋण या कृषि आधारित ऋण नहीं दे पा रहे हैं। इससे किसानों को समयबद्ध कृषि कार्य करने में बहुत कठिनाइयां हुई हैं और इससे फसल खराब हो सकती है और इस फसल के मौसम में किसानों को नुकसान हो सकता है।

नई मुद्राओं की कमी के कारण, डीसीसीबी के उधारकर्ता अपने ऋण को नियत तिथि पर चुकाने में सक्षम नहीं हैं। इसके कारण, डीसीसीबी की बकाया राशि और गैर-निष्पादनकारी आस्ति (एनपीए) भी बढ़ेगी। पीएसीसी और डीसीसीबी से आभूषणों के बदले ऋण लेने वाले लोग अपने गिरवी रखे आभूषणों को छुडवा नहीं कर पा रहे हैं। इससे डीसीसीबी और पीएसीसी के उधारकर्ताओं में अशांति की स्थिति पैदा हुई है।

अतः, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि डीसीसीबी और पीएसीसी को उधारकर्ताओं के ऋण के बदले उनसे विमुद्रीकृत नोट स्वीकार करने की अनुमति दें और पीएसीसी को डीसीसीबी से ऋण सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दें ताकि वे अपने सदस्यों को ऋण प्रदान कर सकें ।

(सत्रह) तमिलनाडु में थूथुकुडी रेलवे स्टेशन के स्तरोन्नयन और विस्तार के बारे में

श्री जे.जे.टी. नटर्जी (थूथुकुडी): थूथुकुडी देश का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है और दक्षिण तमिलनाडु का औद्योगिक केंद्र है। थूथुकुडी एक बहुत ही सक्रिय बंदरगाह शहर होने के कारण इससे माल ढुलाई सेवाओं के माध्यम से रेलवे के लिए बहुत अधिक राजस्व सृजित होता है, फिर भी मेरे थूथुकुडी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल यात्री सेवाएं अपर्याप्त हैं।

थूथुकुडी स्थित रेलवे स्टेशन में सामान्य और अन्य सुविधाओं के संबंध में कमियां हैं। रेलवे प्लेटफार्म वर्तमान स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चौड़े नहीं हैं। रेलवे स्टेशन को वर्तमान स्थान से कुछ किलोमीटर दूर स्थित मीलविट्टान रेलवे स्टेशन पर स्थानांतरित करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे निश्चित रूप से रेलवे स्टेशन को पर्याप्त जगह और विस्तारित प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि लोग बिना किसी परेशानी के उतर सकें और उपयोग कर सकें। इसके अलावा, रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन और विस्तार तभी संभव है जब स्टेशन को मीलविट्टान में स्थानांतरित कर दिया जाए।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि रेलवे स्टेशन को वर्तमान स्थान से मीलविट्टान में स्थानांतरित करने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए।

(अट्ठारह) नोटों के विमुद्रीकरण के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय (दम दम): सरकार द्वारा उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण करने के फैसले के बाद से देश में भीड़भाड़ वाले एटीएम/बैंक शाखाओं से अपनी गाढ़ी कमाई बदलने के दौरान लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। इससे यह साबित होता है कि यह निर्णय पर्याप्त योजना और तैयारी के बिना लिया गया था और इससे आम आदमी को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, जिन्हें बैंकों के सामने घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता है और अब उन्हें बैंकों से अपनी ही मेहनत की कमाई निकालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। हम सभी काले धन के खिलाफ हैं तथा देश और विदेश में जमा काले धन का पता लगाने और उसकी वसूली के पूर्णतः: पक्षधर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26(2) केंद्र को यह घोषणा करने की अनुमति देती है कि "किसी अंकित मूल्य के बैंक -नोटों का कोई क्रम वैध निविदा रहेगा।" यह निर्णय मौजूदा आरबीआई अधिनियम का पूर्णतः: उल्लंघन है। एटीएम में पैसे खत्म हो रहे हैं और उनमें से अधिकांश काम नहीं कर रहे हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लोग, जिनमें किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी आदि शामिल हैं, अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। खुदरा, सब्जी और मछली बाजार बंद हो रहे हैं।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे 1947 से लेकर अब तक के सभी रिकॉर्ड की जांच करें और बेहिसाब आय उत्पन्न करने में सरकारी मशीनरी की भूमिका की जांच करें। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस जन विरोधी निर्णय को जनहित में तत्काल वापस लिया जाए तथा अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाया जाए ताकि सिस्टम में पैसा उपलब्ध हो सके तथा वित्तीय अराजकता और आपातकाल की स्थिति समाप्त हो और लोगों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें।

(उन्नीस) मुंबई के बोरीवली में भारतीय खाद्य निगम के डिपो को अधिसूचित डिपो का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): मुंबई के बोरीवली में भारतीय खाद्य निगम का एक डिपो है जो पिछले पचास वर्षों से संचालित हो रहा है। इस डिपो से मुंबई शहर और उसके उपनगरीय क्षेत्रों, ठाणे और पालघर जिलों में खाद्यान्न की नियमित रूप से आपूर्ति की जाती है। लेकिन किसी कारणवश इस डिपो को अधिसूचित नहीं किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में समय पर खाद्यान्न वितरित करने में काफी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके विपरीत, बोरीवली स्थित एफ.सी.आई. डिपो के बाद महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में शुरू किए गए डिपो को अधिसूचित डिपो का दर्जा दिया गया है।

इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि पुणे, गोंदिया और नागपुर के डिपो को वर्ष 1991 में अधिसूचित श्रेणियों के अंतर्गत लाया गया था, जबकि बोरिवली में सबसे बड़े एफसीआई डिपो को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, जिसके कारण उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री को ही बेहतर ज्ञात हैं। शुरुआत में ये डिपो क्षेत्रीय खाद्य निदेशक के अधीन कार्यरत थे। भारतीय खाद्य निगम बनने के बाद, 1000 कर्मचारियों को एफसीआई के प्रशासन के तहत लाया गया था। यह अनुरोध है कि बोरीवली में एफसीआई डिपो और कर्मचारियों दोनों को अधिसूचित श्रेणी के तहत लाया जाए।

बोरीवली डिपो को अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण पिछले 50 वर्षों से वहां काम कर रहे लगभग 388 श्रमिकों को मनमाने ढंग से महाराष्ट्र के अन्य भागों में स्थानांतरित किया जा रहा है तथा उनके स्थान पर अनुबंध श्रमिकों की भर्ती की जाएगी। अनुबंध श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए निविदा तैयार की जा रही है।

इसलिए, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से बोरीवली एफसीआई डिपो को तुरंत एक अधिसूचित श्रेणी के डिपो के रूप में अधिसूचित करने का अनुरोध करना चाहता हूं ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों को खाद्यान्न की नियमित रूप से आपूर्ति की जा सके। इस बीच, मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि उपरोक्त मुद्दों पर अंतिम निर्णय होने तक श्रमिक उपलब्ध कराए जाने संबंधी निविदा को स्थगित रखा जाए।

(बीस) आंध्र प्रदेश को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी): विशेष श्रेणी का दर्जा (एस.सी.एस.) के विकल्प के रूप में, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किए आश्वासनों को पूरा करने हेतु 07 सितंबर, 2016 को आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। विशेष वित्तीय पैकेज में पोलावरम राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के लिए शत-प्रतिशत वित्तपोषण, कर संबंधी रियायतों और विशेष सहायता आदि का प्रावधान है।

विशेष वित्तीय पैकेज के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी देने और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किए गए सभी आश्वासनों को पूरा करने की आवश्यकता है।

(इक्कीस) विमुद्रीकरण के कारण केरल में जिला सहकारी बैंकों तथा कृषि साख समितियों को हो रही समस्याओं के बारे में

श्री पी.के. बीजू (अलथूर): केरल में, विभिन्न श्रेणियों (राज्य, जिला, प्राथमिक आदि) वाले सहकारी बैंक और उनकी सैकड़ों शाखाएं (कम से कम 1,500) दशकों से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जीवन रेखा रही हैं। लेकिन विमुद्रीकरण के कारण, उनके कामकाज पर वास्तव में विराम लग गया है क्योंकि उन्हें अमान्य हो चुके 500 और 1,000 रुपये के नोट अपने ग्राहकों से स्वीकार करने की अनुमति नहीं है और न ही उन्हें दैनिक कामकाज जारी रखने हेतु अपने स्वयं के भंडार के बदले आरबीआई से ताजा नकदी प्राप्त करने की अनुमति है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली, जिसमें 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है और जिसने 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण संवितरित किए हैं, को पंगु बना दिया गया है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्त मंत्रालय, दोनों को ही उनके लेनदेन के संबंध में संदेह है।

राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की स्थिति से विपरीत, प्रश्न सिर्फ लम्बी कतारों अथवा परेशानियों का नहीं है, बल्कि यह प्रणाली तो पूरी तरह से ठप ही हो गई है। शादी, अंतिम संस्कार, शिक्षा और यहां तक कि दैनिक जीवन भी प्रभावित हुआ है। ऐसी भी जानकारी है कि कुछ बैंकों के पास वैध मुद्रा के रूप में केवल कुछ हज़ार रुपये ही बचे हैं। इसलिए, इस क्षेत्र में किसी भी व्यवधान से राज्य की अर्थव्यवस्था को अपूरणीय क्षति होगी। आयकर विभाग द्वारा स्थिति को और बदतर बना दिया गया है जो राज्य के सहकारी संस्थानों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपना रहा है।

मैं केंद्र से अनुरोध करता हूँ कि जिला सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी को विमुद्रीकृत करेंसी नोटों को बदलने की अनुमति दी जाए।

(बाईस) तेलंगाना में आईटीसी पेपर मिल द्वारा कथित रूप से श्रम कानूनों का उल्लंघन किए जाने के बारे में

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी (खम्मम): आईटीसी पीएसपीडी सरपाका (गांव), बुर्गमपहाड़ (मंडल), खम्मम, तेलंगाना में हुई अनियमितताएं श्रम कानूनों का उल्लंघन हैं। आईटीसी पेपर मिल में 1500 स्थायी कर्मचारी और 5500 संविदा कर्मचारी हैं। सरकारी नियमों के अनुसार, कंपनी को 7,40,000 मीट्रिक टन उत्पादन के लिए 4800 स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए, लेकिन कंपनी केवल 1500 स्थायी कर्मचारियों से चल रही है। यह एक तरह का श्रम शोषण और श्रम कानूनों का उल्लंघन है। सरकार से भारी रियायतें लेकर कंपनी की स्थापना करते समय आईटीसी के अधिकारियों ने स्थानीय क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अनुबंध श्रमिकों सहित कुल कर्मचारियों में केवल 0.5% (आधा प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह तेलंगाना में आईटीसी पेपर मिल की अनियमितताओं की जांच के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की नियुक्ति करके तत्काल उपाय करें।

21.11.2016

(तेईस) बिहार के भागलपुर में ईएसआईसी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : बिहार राज्य के भागलपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कोई अस्पताल नहीं है। भागलपुर सिल्क नगरी के रूप में जाना जाता है जहां के बुनकरों की संख्या बहुत ही ज्यादा है लेकिन कम आय वर्ग के कर्मचारी जो कि असंगठित क्षेत्र के हैं तथा अन्य ऐसे ही मजदूरों के इलाज नहीं हो पाने की स्थिति में इनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं होता है जहां वे अपना इलाज करा सकें। भागलपुर अब स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित है जहां केन्द्र सरकार के स्तर से मिलने वाली हर सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन है। अतः यहां पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के इलाज हेतु ई.एस.आई.सी. के अस्पताल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि बिहार राज्य के भागलपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक मल्टी स्पेशियलटी अस्पताल की सुविधा प्रदान करने के लिए मंजूरी देने का कार्य करें ताकि कम आय वर्ग के मजदूरों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

21.11.2016

अपराह्न 2.0 1/2 बजे

(इस समय श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 22 नवंबर, 2016 / 1 अग्रहायण, 1938 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित